भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3573
उत्तर देने की तारीख : 17.12.2024

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्तजनों को सहायता योजना (एडिप योजना)

3573. श्री इमरान मसूद:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्तजनों को सहायता योजना (एडिप योजना) में नि:शक्त आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने और उन्हें उपकरण वितरित करने का आधार क्या है;

(ख) सहारनपुर जिले में नि:शक्त आवेदकों के लिए एडिप योजना में आवेदन स्वीकार करने और उपकरण वितरित करने हेतु उत्तरदायी एजेंसी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एडिप योजना के अंतर्गत उपकरण वितरण हेतु नोडल एजेंसी एएलआईएमको के संबंध में केंद्र सरकार अथवा राज्य नि:शक्तजन कल्याण विभाग की कोई निगरानी प्रणाली है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान सहारनपुर जिले में नि:शक्त आवेदकों के एडिप योजना के अंतर्गत आवेदनों, स्वीकृत आवेदनों और मोटर चालित तिपहिया साइकिल के वास्तविक वितरण का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क). 'सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' की योजना के तहत सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की पात्रता निम्नानुसार है:

i. किसी भी आयु का भारतीय नागरिक।
ii. उसके पास मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड या कम से कम 40% दिव्यांगता दर्शाने वाले दिव्यांगता प्रमाणपत्र सहित यूडीआईडी कार्ड की नामांकन संख्या होनी चाहिए।
iii. आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना के तहत, विभाग द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ आधार संख्या या आधार कार्ड की नामांकन आईडी।
iv. सभी स्रोतों से मासिक आय रु.30,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v. आश्रितों के मामले में, माता-पिता/अभिभावकों की आय 30,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, और

vi. पिछले 3 वर्षों के दौरान उसी उद्देश्य के लिए किसी भी स्रोत से उसने सहायता प्राप्त नहीं की हो।

(ख) और (ग) यह योजना विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) जैसे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम), / राष्ट्रीय / शीर्ष संस्थान (एनआई) / समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) / जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) / राष्ट्रीय न्यास / गैर-सरकारी संगठन आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियां दिव्यांगजनों का मूल्यांकन करती हैं और देश भर में शिविरों के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित करती हैं। इसके अलावा, लाभार्थी अर्जुन पोर्टल के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करके सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अर्जुन पोर्टल एडिप योजना के तहत सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान करने में एलिम्को के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने में भी सहायता करता है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मूल्यांकन के बाद वितरित मोटरयुक्त तिपहिया साइकिलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	वितरित मोटरयुक्त तिपहिया साइकिलों की संख्या	मूल्य (रुपये लाख में)
2019-20	0	0
2020-21	0	0
2021-22	0	0
2022-23	0	0
2023-24	77	37.73

******